Neutral Citation No. - 2026:AHC:38151

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6812/2026

राम सागर .....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सुनील कुमार तिवारी, विकाश कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित हो तो उसका आदेश में संशोधन/परिवर्तन की प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील गोला, जिला गोरखपुर को नामांतरण वाद संख्या 15145/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202505310715145 को शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version: Not for Legal Use

इस प्रक्रम पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को उद्धृत करना उचित एवं समीचीन होगा, जो यह अनिवार्य करता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकरण उसे विधि के अनुसार समयबद्ध अवधि के भीतर निस्तारित करने के लिए आबद्ध होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7):-

> *"(7). तहसीलदार निर्विवाद नामांतरण वाद को वाद के पंजीकरण की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर और विवादित नामांतरण वाद को 90 दिन की अवधि के भीतर विनिश्चित करने का प्रयास करेगा तथा यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो उसका कारण अभिलिखित किया जाएगा।"*

5. उक्त उपबंध के परिप्रेक्ष्य में तथा पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों के आलोक में, प्राधिकरणों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आवेदन को लेकर उसे अपने गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर निस्तारित करें, परंतु जब तक कोई विधिक अड़चन न हो, अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा।

6. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

19 फ़रवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।